संख्याः 1762/आठ–1–9–16समिति/98

प्रेषक,

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   आवास विकास परिषद,
   उ0प्र0लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक** 18 **जून, 2009**

विषयः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाईड लाईन्स) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए शासनादेश दिनांक 20.11.99 के माध्यम से निर्गत आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) में पूर्व निर्धारित व्यवस्था को अतिकमित करते हुए कार्नर सम्पत्ति के संबंध में शासनादेश संख्या–780/आठ–1–09–16समिति/98, दिनांक 27 फरवरी, 2009 निर्गत किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश से कतिपय अभिकरणों में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 2009 को निम्नवत् स्पष्ट किया जाता हैः–

1. शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 2009 कार्नर सम्पत्ति, पार्क फेशिंग तथा 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क के संबंध में निर्गत किया गया है। अतः उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 20.11.99 के माध्यम से निर्गत आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त यथावत बना हुआ है।
2. कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य का निर्धारण केवल भूमि की लागत पर ही किया जायेगा।
3. पार्क फेशिंग एवं 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर कोई मूल्य नहीं लिया जायेगा।
4. प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 2009 तात्कालिक प्रभाव से निर्गत होने की तिथि से लागू होगा, जिन सम्पत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, उन पर यह शासनादेश लागू नहीं होगा, जिन सम्पत्त्यिों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन्हीं को इस शासनादेश का लाभ प्राप्त होगा।

2– कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर शासनादेश दिनांक 22 फरवरी, 2009 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय
18/6/09
(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
4. निदेशक (अनुश्रवण), आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को सूचित करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
अनु सचिव